Form no. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

पूर्णाराम बनाम ओमप्रकाश आदि गीता देवी आदि

कि0मु0:–शिकात प्रा0पत्र अ0धारा 11, 14 कॉलो एक्ट एवं धारा 15(5)आवंटन नियम 1970

प्रकरण संख्या .:– 47 / 2024 जीसीएमएस न. 2024 / 47

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
31.01.2025	आज यह पत्रावली प्रार्थी स्वयं द्वारा उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई एवं विड्रॉ प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवानी शिकायत प्रार्थना पत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता है तथा अपना शिकायत प्रार्थना पत्र विड्रो करना चाहता है। अतः प्रार्थी को शिकायत प्रार्थना पत्र विड्रो करने की अनुमति प्रदान करे। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी श्री सुरेन्द्र सुथार द्वारा प्रार्थी की पहचान की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र शामिल मिसल किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर हस्तगत प्रार्थना पत्र आगे नहीं चलाने हेतु निवेदन किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया किया जाकर शिकायत प्रार्थना पत्र विड्रॉ की जाने की अनुमति दी जाती है एवं हस्तगत प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 22.10.2024 द्वारा जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार सूरतगढ़ को पालनार्थ / आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (कन्हैया लाल सोनगरा) अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)	LTI पूर्णाराम पूर्णाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.02.05 13:31:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner